

ORDER-SHEET

*The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza,
Bhopal*

Case No. L0025812

<i>Date of order of proceeding</i>	<i>Order of proceeding with Signature of presiding officer</i>	<i>Signature of parties or pleaders where necessary</i>
24.01.13	<p>आवेदक उपभोक्ता स्वतः उपस्थित ।</p> <p>विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 602/2010 श्री चुन्नीलाल विश्वकर्मा विरुद्ध अधीक्षण अभियंता तथा अन्य एक से संबंधित अभिलेख प्राप्त ।</p> <p>उक्त अभिलेख का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि आवेदक की शिकायत की सुनवाई फोरम द्वारा की गई थी तथा दिनांक 29.03.2011 को आदेश पारित करते हुए उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण फोरम द्वारा किया गया था ।</p> <p>आवेदक उपभोक्ता ने उक्त आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, अपितु उसने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के समक्ष अपनी शिकायत का निराकरण न होने के संबंध में जो आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था, उसकी प्रतिलिपि विद्युत लोकपाल को प्रेषित की थी ।</p> <p>आवेदक उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर द्वारा दिनांक 29.03.2011 को पारित आदेश के अनुसार किया जा चुका है । उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक उपभोक्ता द्वारा कोई अभ्यावेदन नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आवेदक उपभोक्ता के द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर को प्रस्तुत शिकायत की प्रति पर कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है । अतः आवेदन-पत्र नस्तीबद्ध किया जाता है । आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की प्रति उपभोक्ता को दी जाए ।</p> <p style="text-align: right;">विद्युत लोकपाल</p>	

